संक्षिप्त

बीजेपी की तिरंगा यात्रा आज

अलवर। शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यलय पर तिरंगा यात्रा की तैयारीयों के संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में तिरंगा यात्रा के संभाग समन्वय रघुनाथ सिंह नरेडी उपस्थित रहेंगे कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता करेंगेइस कार्यशाला में राजस्थान राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलवीर छील्लर, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक, विधायक प्रत्याशी,पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य,मोर्चा जिला अध्यक्ष,मंडल अध्यक्ष, मौजूद रहेंगे

ऑपरेशन करवा कर लौटे 6 मरीजों का किया सम्मान

श्रीमाधोपुर। लायंस क्लब श्रीमाधोपुर द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमाधोपुर में आयोजित 47 वें आंखों के मोतियाबिंद एवं लैंश प्रत्यारोपण शिविर मे चयनित 6 मरीजों के ऑपरेशन के बाद जयपुर से वापस लौटने पर लायंस क्लब ने उनका हालचाल जाना और स्वागत में सभी को शॉल उठाकर उनका स्वागत किया । लायंस क्लब श्रीमाधोपुर के अध्यक्ष सीताराम सैनी पूर्व वैज्ञानिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्य के लिए विशेष सहयोग दिया दुर्गा प्रसाद गोयल और ललिता गोयल, ऊंझा, गुजरात वालों ने इस मौके पर क्लब के सीताराम सैनी और सागरमल हलवाई उपस्थित रहे।

कलक्टर ने सुने अभाव अभियोग

पावटा। पंचायत समिति पावटा की ग्राम पंचायत भोनावास में कोटपुतली बहरोड़ जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में विद्युत व पेयजल की समस्या से हो रही परेशानी को उठाया तथा समाधान करवाने की मांग की। इस पर जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समाधान करने के निर्देश दिए। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मियों व ग्रामीणों ने भाग लिया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने गर्मी के मौसम में पेयजल सप्लाई व विद्युत कट की समस्या उठाते हुए समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है।इसके अलावा रात्रि चौपाल में सडक निर्माण सहित अन्य विभागों की समस्याएं भी ग्रामीणों ने उठाई।

दो माह से पेयजल आपूर्ति ठप

निवाई। शिवाजी कॉलोनी वार्ड नंबर 18 में स्थित लाखा की ढाणी में करीब दो माह से पेयजल आपूर्ति ठप है। जिससे कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनीवासी शंकर सिंह, मुकेश माली, ओमप्रकाश यादव, सुमित जैन, जगदीश वर्मा, श्रीराम माली, रामअवतार माली, नवल सिंह एवं हरिराम वर्मा ने बताया कि लाखा की ढाणी में करीब दो माह पूर्व गैस लाइन डालने से पेयजल लाइन क्षितग्रस्त हो गई जिससे करीब दो माह से पेयजल आपूर्ति ठप है।

निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित

श्रीमाधोपुर । श्री तेजा क्लिनिक पुष्पनगर श्रीमाधोपुर में गुरुवार को निःशुल्क चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. अमरचंद शर्मा (जनरल सर्जन), डॉ. एस के चौहान (जनरल फिजिशियन), डॉ. जे के शर्मा (न्यूरोलॉजिस्ट) द्वारा आर्थो, जनरल मेडिसिन,सास , दमा शुगर के रोगियों को चिकित्सीय परामर्श देते हुए निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई। इस क्लिनिक में हर माह अलग अलग रोगों के चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जाएगी।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अधिकारी मौके पर ही करें आमजन की समस्याओं का निस्तारण : कलेक्टर

भौनावास में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान जनसुनवाई करती जिला कलेक्टर।

- जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जनसुनवाई में आये विभिन्न प्रकरण, जिला कलक्टर ने दिये निस्तारण के निर्देश

कोटपूतली। आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित कर उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट भवन के वीसी कक्ष में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 54 प्रकरण प्राप्त हुये। जिला कलक्टर ने प्रकरणों के नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा गर्मी के मौसम के मध्यनजर सभी अधिकारी अपने कार्यालय में छाया, बैठने, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थायें बनाकर रखें, जिससे आगंतुकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से आमजन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ सुनने के निर्देश देते हुये कहा कि यह समय पेयजल, बिजली, चिकित्सा एवं अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ आपसी समन्वय से आमजन के हितार्थ कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करें व निचले स्तर तक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में अपने अधीनस्थों के माध्यम से मौके पर ही परिवादियों की समस्या को सुनकर तुरंत समाधान के प्रयास करें।

जिला कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी आमजन की परिवेदनाओं का प्रभावी रूप से निस्तारण करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो व बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। स्थानीय स्तर पर ही निराकरण कराकर राहत प्रदान करें तथा बुजुर्ग व महिलाओं के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेंवे। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुये कहा कि बिना अनुमति के कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित ना रहें। इसी के साथ ही जिला कलक्टर ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनसुनवाई और रात्रि चौपाल को प्राथमिकता से ले। जिला कलक्टर ने अवैध कार्यों के खिलाफ अधिकारियों को स्वतरू संज्ञान लेते हुये सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में रास्ता खुलवाने, पट्टा संबंधी प्रकरण, नक्शे में शुद्धिकरण करने, कृषि भूमि पर सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने, कब्जा हटवाने, म्यूटेशन, अवैध खनन, पंचायत पुनर्गठन, रास्ता अतिक्रमण, एनएफएसए संबंधी, परिसीमन, पुनर्गठन पर आपत्तियां, विद्युत कनेक्शन करवाने, अवैध अतिक्रमण हटाने, सफाई कराने, पेयजल व सडक निर्माण कराने सहित अन्य प्राप्त प्रकरणों को आत्मीयता और धैर्यपूर्वक ढ़ंग से सुनकर निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परीवादों के निस्तारण की मॉनिटरिंग कर रिपोर्टिंग प्रस्तुत करें।

बैठक में सतर्कता के प्रकरणों की भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ, पुलिस संबंधी, जनसुनवाई, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के भीतर किया जायें। ताकि आमजन को राहत मिल सके। कलेक्ट्रेट में आने वाले परिवादियों के लिये छाया, बैठने व पेयजल की उचित व्यवस्था की गई। जनसुनवाई में एडीएम ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम बृजेश कुमार, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व आमजन उपस्थित रहे।

पक्षियों के लिए लगाए परिंडे

श्रीमाधोपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतगढ़ में प्रधानाचार्य सुमन गोठवाल की अध्यक्षता में इको क्लब एवं स्काउट गाइड ने पक्षियों के लिए पानी के परिंडे बांधे। उत्सव प्रभारी स्थानीय संघ अजीतगढ़ के सचिव रामावतार शर्मा , सहायक सचिव जमील खान एवं कार्यालय प्रभारी भगवान सहाय सैनी के सान्निध्य में पक्षियों हेतु परिंडे लगाए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैरली विद्यालय परिसर में पक्षियों हेतु पानी के परिंडे बांधे गए।

'आतंक के खिलाफ पूरा देश एक'

निवाई। आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है। युवा काँग्रेस प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी ने टोंक जिले के एक दिवसीय दौरे को लेकर निवाई में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कढी निन्दा करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोषों पर कायराना हमला किया है। जिससे संपूर्ण देश में आतंक के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकियों को कडी से कडी सजा मिले। उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजूट है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी व टोंक जिला प्रभारी टीकम चौधरी का निवाई आगमन पर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में काँग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विक्रम चौधरी, धर्मवीर मीणा, सूरज भुरटीया, सियाराम लुहारा, गोविंद सिंगवाडीया, सुरेश बैनीवाल, रोहित रग्गल, मुकेश सांसी, विमल जाँगिड, नरेश चौधरी व मोहम्मद नासिर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित

- कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर श्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ, ए ब्लॉक, रनजीत नगर, भरतपुर में 17 मई से

भरतपुर । राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर पर गिरिराज प्रसाद गर्ग सहा. राज्य संगठन आयुक्त की अध्यक्षता में स्काउट/गाइड ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होनें बताया की राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर के तत्वावधान में मण्डल स्तरीय ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिविल लाइन गोपालगढ भरतपुर एवं जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर श्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ, ए ब्लॉक, रनजीत नगर, भरतपुर में 17 मई से आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर का उद्देद्श्य शहर की प्रतिभाओं को निखारने एवं उनके श्रम के प्रति निष्ठा, स्वावलम्बन, एवं आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास एवं ग्रीष्मावकाश के समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से कुशल, प्रशिक्षित, दक्ष एवं अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा अनेक विषयों ब्यूटीशियन, सिलाई, पेन्टिंग, मेहन्दी, योगापर्सनलिटी डवलमेन्ट, ऐंकरिंग, इंगलिश स्पोकन, आत्म सुरक्षा, गीत, संगीत, नृत्य एवं खेलों में शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्वीमिंग आदि बिषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा

साथ ही पर्यटन, गृह सज्जा मौसमी विमारियों से बचाव, पाक कला, योग प्रणायाम जैसी उपयोगी वार्ताओं के साथ शैक्षिणक भ्रमण, विभिन्न प्रतियोगिताओं वेस्ट ऑफ द वेस्ट व सामुदायिक विकास गतिविधियों का भी आयोजन किया जायेगा।

प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यार्थी अभिरूचि केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में 05 वर्ष से लेकर अधिकतम किसी भी आयु वर्ग की बालक – बालिकाऐं एव महिलाऐं प्रवेश ले सकती हैं। आत्म सुरक्षा हेतु उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से सैल्फ डिफेंस सिखाया जायेगा। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा उनकों सरकारी योजनाओं से लाभन्वित किया जाएगा।

मण्डल स्तरीय शिविर का संचालक सी. ओ. देवेन्द्र कुमार मीना जिला स्तरीय शिविर का संचालक भानु प्रताप सिंह सचिव स्था. संघ भरतपुर को इन शिविरों को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

इस बैठक में नीता शर्मा सहा. राज्य संगठन आयुक्त के मुख्यातिथ्य में देवेन्द्र कुमार0 मीना सी. ओ. स्काउट, भानु प्रताप सिंह सचिव स्थानीय संघ भरतपुर, यादराम अध्यापक, विजय सिंह व. शा. शि. , बलराज सिंह जी एल.टी., कविता सिंघल व. गाइडर , जल सिंह व. शा. शि., विनोद कुमार अध्यापक, आदि गणमान्य उपस्थित थे।

खेत में बने फार्म पॉण्ड में डूबने से दो युवकों की मौत

फुलेरा। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम आकोदा में मवेशियों को चराने गए एक ही परिवार के दो युवकों की फार्म पॉण्ड में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों मृतकों के शवों को फुलेरा उपजिला चिकित्सालय पर लाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी क्रम में मिली जानकारी के अनुसार आकोदा ग्राम निवासी दो युवक मनीष वर्मा पुत्र कुन्दन लाल वर्मा उम्र 21 वर्ष व विशाल वर्मा पुत्र गिरधारी लाल उम्र 17 वर्ष, दोनों ही युवक सुबह करीब 8 बजे गाय–भैंस को चराने खेतों की तरफ गए थे। इस दौरान एक खेत में बने फार्म पॉण्ड में गिरी गाय को बचाते समय पैर फिसल जाने से दोनों युवकों की पॉण्ड में भरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। खबर को सुनते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। थानाधिकारी श्रवण कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां का वीभत्स व करुणा मय वातावरण देखते हुए मृतकों के परिवार जनों को ढाढस बंधाते हुए वस्तु स्थिति को संभाली। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे।

सृजन सुरक्षा योजना अभियान का किया शुभारम्भ

सृजन सुरक्षा योजना अभियान को लेकर चर्चा करते अधिकारी।

निवाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 सृजन सुरक्षा योजना अभियान का शुभारम्भ किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेशकुमार जलुथरिया ने बताया कि सृजन सुरक्षा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में नवागंतुक हरित बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाए जाऐंगे

चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा योजनाओं, शैक्षिक अवसरों, प्रासंगिक सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित् करने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स की गई। उन्होंने बताया कि वीसी के माध्यम से योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना से सम्बन्धित मुख्य हितधारकों व सम्बन्धित विभागों को योजना की भावना व उद्देश्य के प्रति संवेदनशील बनाने तथा योजना के तहत सक्रिय रूप से कार्यवाही करने हेतु प्रेरित किया गया। वीसी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शेलेन्द्रसिंह चैधरी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी चौथमल चोधरी, जिला बाल संरक्षण के उप निदेशक नवल खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला उप निदेशक करतारसिंह मीना, जिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग प्रज्ञा मोटवानी, सीडीपीओ टोंक नीता पाठक व सरपंच सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

दस साल बाद संदेह के लाभ में हत्या का अभियुक्त दोष मुक्त

सांभरझील। अपर सेशन न्यायाधीश फागी कीर्ति सिंहमार ने हत्या कि मामले में राकेश बैरवा पुत्र लालाराम निवासी सावल पुलिस थाना फागी जिला जयपुर को आरोपित अपराध अंतर के धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किया। हत्या के मामले को लेकर 15 अगस्त 2014 को परिवादी रमेश चंद्र की तरफ से थाना फागी में अपनी पुत्री मंशा की निर्मम तरीके से हुई हत्या को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दी थी। परिवादी की ओर से शक के आधार पर दामाद व उसके दोस्त राकेश का नाम भी लिखाया था। पुलिस थाना फागी ने अनुसंधान कर दामाद के दोस्त राकेश को ही मुख्य अभियुक्त माना था जबकि उसके पति अजय को सहयुक्त बनाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट फागी ने अभियुक्त राकेश के खिलाफ अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण एडीजे कोर्ट में रेफर किया। अपर लोक अभियोजक की ओर से न्यायालय के समक्ष अनेक गवाह व तर्क के साथ अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का पक्ष रखा, लेकिन अभियुक्त की अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह शेखावत ने तर्क रखा कि किसी भी गवाहों ने अभियुक्त को हत्या करते हुए नहीं देखा है और न ही पत्रावली में किसी ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। उनकी ओर से न्यायालय में 32 न्यायिक दृष्टांत भी इस संदर्भ में पेश किए गए। न्यायालय ने मुख्यतः अपने फैसले में लिखा कि भले ही अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हुआ है किंतु प्रस्तुत साक्ष्य से परिवादी की पुत्री की हत्या होना प्रमाणित है इसलिए प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले को मृतका के माता–पिता को उचित प्रतिकर दिलाने हेतु प्रकरण पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर को संदर्भित किया गया।

जनसुनवाई में 76 परिवेदनाएं दर्ज, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

जिला स्तरीय जनसुनवाई में परिवेदनाओं को सुनते जिला कलेक्टर किशोर कुमार।

- खैरथल जिला सचिवालय पर हुई जिला-स्तरीय जनसुनवाई

खैरथल। आमजन की समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे वही ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। जन सुनवाई में 76 प्रकरण दर्ज किए गए। कलेक्टर ने प्रस्तुत परिवेदनाओं पर व फरियादी को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय अवधि निर्धारित समाधान करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में गंदे पानी की निकासी, भूमि पर अतिक्रमण, बिजली, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने,सड़क, पट्टा दिलाने बाबत, तथा विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल समस्या सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए। संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और सम्बंधित विभागों को परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने अधिकारियों निर्देशित कर कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ, मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ एवं जनसुनवाईयों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर उच्च स्तर पर संपर्क कर निपटाएं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर परिवादी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें।

जनसुनवाई के दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, सुरेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग अधिकारी वेद प्रकाश सैनी, अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव, नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हवा सिंह जाट,नोडल अधिकारी आयुर्वेदिक विभाग अजीत बालयांण, पीएचईडी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आम सूचना मेरे अभिभाष्य सुरजीत सिंह पुत्र सरदार सन्ता सिंह एवं श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, निवासी-मकान प्लाट नम्बर-16-ए, खालसा कालोनी, हीदा की मोरी, जयपुर का पुत्र बलवीर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह उनके कहने, सुनने में नही है, तथा मेरे अभिभाष्य से अलग रहता है, मेरा अभिभाष्य अपनी समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति, सामाजिक सम्बन्धो से अपने पुत्र बलबीर सिंह को बेदखल करते हैं। इससे मेरे अभिभाष्य को कोई वास्ता नही है। कोई भी व्यक्ति इससें किसी भी प्रकार का सव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
(मुकेश सैन एडवोकेट) मो.नं.93145-63517

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य सरकारी आवासन संघ लि. की सहयोग अपार्टमेन्ट योजना मे फ्लैट नम्बर बी-1 का मूल आंवटन पत्र क्रमाक 8257/95 दिनांक 18.01.1995, जो कि श्रीमती मनिषा माथुर पत्नि श्री कृष्ण कुमार शर्मा के नाम से है, वो खो गया है जिसकी पुलिस रिपोर्ट LR No. 2763142/2025 दिनांक 13.5.2025 को दर्ज करा दी गयी है उक्त सम्पति के लिये श्रीमती रेणु शर्मा पत्नि श्री ओम प्रकाश ने BOB Bank मे ऋण हेतु आवेदन किया है यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई एतराज या आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के अन्दर सम्पर्क करे। मूल आंवटन पत्र मिलने पर सूचित करे।
श्री ओम प्रकाश, (मो.) 9001000588

राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-2804 दिनांक-15/05/25
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या 26/A2/807 (8-F) (EWS) (ANUPAM APARTMENT) (एरिया 11.480 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री नरेश कुमार सैन को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 573 दिनांक 16.04.2025 को जारी किया गया।
श्रीमती संतरा देवी की मृत्यु दिनांक 14.10.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री संजय कुमार सैन पुत्र श्री नरेश कुमार सैन द्वारा उक्त फ्लैट को स्वंय के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री संजय कुमार सैन पुत्र श्री नरेश कुमार सैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 47/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री प्रवेश दीक्षित पुत्र श्री रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम पोस्ट सोहन की ढाणी, बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत बी.डी.एम.एल. शिक्षण संस्थान, ढेलावास (मुण्डावर) पोस्ट गोपीपुरा, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.07.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-7 स्थान जयपुर महानगर (प्रथम)
कौशल्या देवी विरूद्ध दीपक कुमार गर्ग व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र 021 R 97 सी.पी.सी.
प्रार्थना-पत्र संख्या 12/2025 सन्
नाम सुनील कुमार लालवानी पुत्र श्री प्रेमचन्द लालवानी जाति सिन्धी पता निवासी C/o मोहनदास सावलानी पुत्र श्री सतराम सावलानी प्लाट नं. सी-477, जे.डी.ए.कॉलोनी, मीना पालडी, आगरा रोड, जयपुर
उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 20 माह 05 सन् 2025 को 8 ए.एम. पूर्वानह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 14 माह 5 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश क्रम-07 जयपुर महानगर-प्रथम

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5 वी व 6ठी मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805, E-mail: rschfjaipur@yahoo.com
क्रमांक :-36/25 दिनांक :-14/05/20025
आम सूचना संघ की आवासीय योजना केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर की दुकान संख्या-22, संघ द्वारा श्री सुशील कुमार चौमाल को आवंटित की गई थी, जिसे बाद में श्री नारायण धोबी पुत्र श्री मंगलाराम धोबी द्वारा क्रय किये जाने पर संघ द्वारा उनके नाम ट्रांसफर कर विक्रय पत्र दिनांक 31.03.1999 को रजिस्टर्ड करवा दिया गया था। उक्त दुकान को श्रीमती बादाम देवी पत्नि श्री श्रवण लाल धोबी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2006 से क्रय कर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर स्वयं के नाम ट्रांसफर कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त दुकान पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा दुकान संख्या-22, केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर लाल रोड, जयपुर को श्रीमती बादाम देवी पत्नि श्री श्रवण लाल धोबी के नाम हस्तांतरण कर दिया जावेगा।
(योगेश शर्मा) प्रबंध निदेशक

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/277
चूंकि प्रार्थी श्री Chandra Prakash Bharadwaj, S/O: Kedar Narayan Sharma, Sankh, Bassi, Jaipur, Rajasthan-303301 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास Thakur Ji Shree Raghunath Ji Mandir trust, Gram Sankh Shyopuri, panchayat Samiti sindoli, Bassi, Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18/07/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान मौजमाबाद
लाडा देवी विरुद्ध गोपाल वगैरह
वाद प्रार्थना पत्र